

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा



Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2021/२२२३

दिनांक: ०९/०९/२०२१

नीलामी सूचना 24/2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीलवाड़ा जिले के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 61(7) के तहत जब्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा 500 टन आरक्षित दर 400/-रु. प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाड़ा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफ में आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1000/- रु का डी.डी./बैंकर्स चैक खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (Mining Engineer Bhilwara) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 22/09/2021 तक रोकड़ शाखा कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज.) से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 500 टन की समस्त क्षेत्रों के लिए एक साथ बोली दरें मय बयाना/अमानत राशि 10,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, सीलबंद लिफाफे में दिनांक 23/09/2021 सांय: 5 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 24/09/2021 को प्रातः 10:00 उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

me.bhilwara
२३/०९/२०२१
सखनि अभियन्ता
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भीलवाड़ा (राज.)
खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा
Email id:- me.bhilwara@rajasthan.gov.in



क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2021/

दिनांक: /09/2021

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

भीलवाड़ा जिले में इस कार्यालय के क्षेत्राधीन विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पडी हुई है, जिसे दिनांक 24/09/2021 को नीलामी किया जाना है:-


क्र०सं०	क्षेत्र का नाम जहां जब्त की हुई बजरी पडी हुई है।	बजरी की अनुमानित मात्रा
1	असवारी घनवाडा रोड़, कोटड़ी, teh.-kotri dist Bhilwara	500
Total		500

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :- नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के क्षेत्राधिकार में एकत्रित बजरी नीलामी हेतु आवेदन", लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा (राज.) के कमरा नं 1 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 23/09/2021 तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/ निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में संबंधित क्षेत्र/परिसर में की जा सकती है।
- सफल निविदादाता को जब्तशुदा बजरी क्षेत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
- प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 24/09/2021 को प्रातः 10:00 उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियन्ता कक्ष संख्या 1 में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता की घोषणा संलग्न दस्तावेज

- पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 20 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षेत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग लेवर व परिवहन ईत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
 8. निविदादाता को एग्ज्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादी को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
 9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/TCS/DMFT/RSMET की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 3 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत करना होगा।
 10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार /अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी खनि अभियंता भीलवाड़ा के पास सुरक्षित होंगे।
 11. सफल निविदादाता को परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
 12. बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थित में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम बजरी के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
 13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया गया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
 14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित नम्बर अंकित अधिकारियों को Whatsapp पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
 15. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
 16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
 17. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
 18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
 19. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जायेगा।


20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।
23. उक्त निलामी माननीय न्यायालय से निलामी हेतु अनुमति प्राप्त होने के अध्यक्षीन रहेगी।
24. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भीलवाड़ा होगा।
25. उक्त निलामी को स्थगित करने, निलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।


09/09/2021
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा

क्रमांक : खअ/भील/निविदा/2021/२२२५-२२३१
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक: 09/09/2021

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, डीएमजी ओएमएस, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
4. अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर-जोन, उदयपुर
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा वृत्त, भीलवाड़ा
6. थानाधिकारी पुलिस थाना पारोली
7. सहायक खनि अभियन्ता, कार्यालय हाजा।
8. संबंधित खनि कार्यदेशक।


09/09/2021
खनि अभियन्ता,
भीलवाड़ा